



अनुसंधान प्रश्न

“भारत में लगातार शोर, धुआं या परेशानी पैदा करने वाले पड़ोसी के खिलाफ क्या कानूनी उपाय हैं, जिसमें न्यूसेंस की कार्रवाई, ध्वनि प्रदूषण नियम और अनुमत डेसिबल सीमा, बीएनएस के तहत पुलिस शिकायत और सिविल निषेधाज्ञा शामिल हों?”

भारत में लगातार शोर, धुआं या परेशानी पैदा करने वाले पड़ोसी के खिलाफ उपलब्ध कानूनी उपाय और उनका प्रवर्तन

सारांश

भारत में लगातार शोर, धुआं या परेशानी पैदा करने वाले पड़ोसी के खिलाफ दीवानी (Civil) और आपराधिक (Criminal) दोनों प्रकार के कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने **In Re: Noise Pollution** (2005) में यह स्थापित किया कि ध्वनि प्रदूषण से मुक्त शांत वातावरण में जीने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, और किसी भी व्यक्ति को अपने निजी परिसर में भी ऐसा शोर करने का अधिकार नहीं है जो पड़ोसियों के लिए न्यूसेंस (Nuisance) पैदा करे। इसके तहत पीड़ित नागरिक सिविल निषेधाज्ञा, ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत पुलिस शिकायत, या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष न्यूसेंस हटाने की त्वरित आपराधिक कार्यवाही का सहारा ले सकते हैं।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
19	5	2025
17 उच्च न्यायालय • 2 सर्वोच्च न्यायालय		Allahabad High Court

विषय-सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	6
IV. मुकदमे का विवरण	8

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्धरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 ध्वनि प्रदूषण नियमों के कड़े मानक और अनुमत डेसिबल सीमाएँ

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन के समय (सुबह 6:00 से रात 10:00 बजे) 55 dB(A) और रात के समय (रात 10:00 से सुबह 6:00 बजे) 45 dB(A) की सीमा निर्धारित करते हैं, जिनका उल्लंघन होने पर पुलिस और संबंधित प्राधिकारी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं, *Sakuthala Vedachalam v. State of Tamil Nadu* (2019)।

02 निजी न्यूसेंस (Private Nuisance) के तहत शारीरिक आराम का कानूनी मापदंड

पड़ोसी के खिलाफ सिविल निषेधाज्ञा का दावा करने के लिए न्यूसेंस का परीक्षण एक औसत और विवेकशील मानव के सामान्य आराम के स्थानीय मानकों पर किया जाता है; यदि शोर या धुआं रात की नींद में खलल डालता है या सामान्य बातचीत को असंभव बनाता है, तो यह संपत्ति के उचित उपयोग के बचाव को खारिज करते हुए एक कार्रवाई योग्य दीवानी न्यूसेंस माना जाता है, *Spoorthi School of Dance v. V. Ramalinga Reddy* (2024)।

03 सार्वजनिक न्यूसेंस और त्वरित मजिस्ट्रेट कार्यवाहियों का क्षेत्र

बीएनएस की धारा 270 (पूर्ववर्ती आईपीसी की धारा 268) और सीआरपीसी की धारा 133 के तहत त्वरित मजिस्ट्रेट कार्यवाही का उपयोग केवल सार्वजनिक या सामुदायिक असुविधा के मामलों में ही किया जा सकता है, न कि दो व्यक्तियों के बीच के शुद्ध निजी दीवानी संपत्ति विवादों को सुलझाने के लिए, *Sanjeev Kumar v. State of H.P.* (2018)।

04 सिविल मुकदमों की लंबित स्थिति और मजिस्ट्रेट की शक्तियों का टकराव

यदि पड़ोसी के खिलाफ न्यूसेंस या संपत्ति के विवाद को लेकर सिविल कोर्ट में पहले से ही दीवानी मुकदमा लंबित है और न्यायालय ने निषेधाज्ञा (Injunction) जारी कर दी है, तो उसी विवाद पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SDM) द्वारा समानांतर रूप से धारा 133 सीआरपीसी के तहत आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अनुचित और कानूनन असमर्थनीय है, *Puranchand Sharma v. State of Rajasthan* (2018)।

05 निषेधाज्ञा डिक्री लागू करने का उचित माध्यम

दीवानी न्यायालय द्वारा पड़ोसी के खिलाफ पारित किसी स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री के उल्लंघन की स्थिति में पीड़ित पक्ष को सीधे पुलिस सुरक्षा या रिट याचिका के बजाय सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 21 नियम 32 के तहत निष्पादन न्यायालय (Execution Court) का दरवाजा खटखटाना चाहिए, *Banala Rajesh v. State of Telangana* (2023)।

06 दीवानी विवादों को आपराधिक कृत्य का रूप देने पर पुलिस जांच की वैधता

भले ही विवाद का मूल दीवानी या न्यूसेंस प्रकृति का हो, लेकिन यदि कोई पड़ोसी सिविल निषेधाज्ञा का उल्लंघन करके मार्ग अवरुद्ध करता है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या शारीरिक हमला करता है, तो पुलिस द्वारा दर्ज आपराधिक प्राथमिकी (FIR) को केवल सिविल विवाद का हवाला देकर रद्द नहीं किया जा सकता, *Kanakamedala Arun Rakesh v. State of Andhra Pradesh* (2025)।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

जब भी किसी विशेष पर्यावरण कानून या न्यायाधिकरण के माध्यम से समान रूप से प्रभावी और वैकल्पिक विधिक उपाय उपलब्ध हों, तो दीवानी अदालतों को विशिष्ट राहत अधिनियम (Specific Relief Act), 1963 की धारा 41 के तहत सिविल निषेधाज्ञा देने से बचना चाहिए, और प्रारंभिक रूप से न्यूसेंस साबित करने का पूर्ण दायित्व वादी पर होता है, *Ratnagiri Nagar Parishad v. Gangaram Narayan Ambekar & Ors.* (2020)।

उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ

यदि पड़ोसी द्वारा सिविल न्यायालय के अंतरिम यथास्थिति (Status Quo) या निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो उच्च न्यायालय सीधे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पुलिस सुरक्षा का आदेश देने से इनकार करते हैं क्योंकि सीपीसी के आदेश 39 नियम 2A के तहत दीवानी कारावास या संपत्ति की कुर्की जैसे प्रभावी वैकल्पिक उपचार पहले से उपलब्ध हैं, *Shams Khatoon v. State of Telangana* (2024)।

हाल का विकास

नए आपराधिक कानूनों के तहत, यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा शांति भंग की आशंका या न्यूसेंस के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 164(1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, तो पीड़ित पक्ष को सीधे नोटिस को चुनौती देने के बजाय संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, जिसे कानूनन तय किया जाएगा, *Ramesh Chand v. State of U.P.* (2025)।

II. सांविधिक प्रावधान 5 प्रावधान

SECTION 268, INDIAN PENAL CODE, 1860 — PUBLIC NUISANCE

Defines public nuisance as any act or illegal omission causing common injury, danger, or annoyance to the public, people residing in the vicinity, or those using public rights.

"A person is guilty of a public nuisance who does any act or is guilty of an illegal omission which causes any common injury, danger or annoyance to the public or to the people in general who dwell or occupy property in the vicinity, or which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to persons who may have occasion to use any public right. A common nuisance is not excused on the ground that it causes some convenience or advantage." उद्धृत: Sanjeev Kumar v. State of H.P.

SECTION 133, CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 — CONDITIONAL ORDER FOR REMOVAL OF NUISANCE

Empowers District, Sub-divisional, or other Executive Magistrates to issue conditional orders for the removal or regulation of public obstructions, nuisances, injurious trades, or dangerous structures.

"Whenever a District Magistrate or a Sub-divisional Magistrate or any other Executive Magistrate specially empowered in this behalf by the State Government, on receiving the report of a police officer or other information and on taking such evidence (if any) as he thinks fit, considers— (a) that any unlawful obstruction or nuisance should be removed from any public place or from any way, river or channel which is or may be lawfully used by the public; or (b) that the conduct of any trade or occupation, or the keeping of any goods or merchandise, is injurious to the health or physical comfort of the community... such Magistrate may make a conditional order requiring the person causing such obstruction or nuisance... to remove such obstruction or nuisance; or to desist from carrying on... such trade or occupation..." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

SECTION 5, RAJASTHAN NOISES CONTROL ACT, 1963 — POWER TO PREVENT NOISE AT ANY TIME AND AT ANY PLACE

Authorizes the District Magistrate or authorized person to prohibit any kind of noise or its amplification at any time and place in the public interest.

"The District Magistrate or any other person authorized by the State Government in this behalf may, on being satisfied that in his opinion it is necessary in the public interest so to do, by an order in writing recording reasons therefore, prohibit noise of any kind whatsoever, including the amplification thereof, in any place and at any time." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

SECTION 292, BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023 — PUNISHMENT FOR PUBLIC NUISANCE IN CASES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

Prescribes a fine of up to one thousand rupees for committing a public nuisance that is not explicitly punishable under other provisions of the Sanhita.

"Whoever commits a public nuisance in any case not otherwise punishable by this Sanhita shall be punished with fine which may extend to one thousand rupees." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

SECTION 270, BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023 — PUBLIC NUISANCE

Defines the offense of public nuisance under the modern penal code, encompassing acts or omissions causing common injury, danger, or annoyance to the neighboring public.

"A person is guilty of a public nuisance who does any act or is guilty of an illegal omission which causes any common injury, danger or annoyance to the public or to the people in general who dwell or occupy property in the vicinity, or which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to persons who may have occasion to use any public right but a common nuisance is not excused on the ground that it causes some convenience or advantage." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

III. चर्चित मुकदमे

19 मुकदमे · सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Sanjeev Kumar v. State of H.P.</i> HPHC010242762017	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2018	Section 133 CrPC के तहत कार्यवाही का उपयोग निजी विवादों के बजाय केवल सार्वजनिक न्यूसेंस के लिए किया जा सकता है।
02	<i>Sakuthala Vedachalam v. State of Tamil Nadu</i> HCMA010089302002	MADRAS HIGH COURT	2019	आवासीय क्षेत्रों के लिए शोर सीमा (दिन में 55 dB, रात में 45 dB) और ध्वनि नियमों का कड़ा प्रवर्तन अनिवार्य।
03	<i>Spoorthi School of Dance v. V. Ramalinga Reddy</i> KAHC010127322019	HIGH COURT OF KARNATAKA	2024	आवासीय क्षेत्रों में अत्यधिक और असामान्य शोर जो शारीरिक आराम और नींद में बाधा डाले, निषेधाज्ञा योग्य न्यूसेंस है।
04	<i>Umesh Sharma v. State of M. P.</i> MPHC020267522018	HIGH COURT OF MADHYA PRADESH	2018	रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकों पर प्रतिबंध और ध्वनि स्तर को विनियमित करने का निर्देश।
05	<i>K.V. Kurundkar v. State of Maharashtra</i> HCBM010375392018	BOMBAY HIGH COURT	2019	ध्वनि प्रदूषण नियमों के नियम 7 और 8 के तहत शोर रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत का प्रावधान।
06	<i>S. Daniel Dhanasekaran v. The District Collector</i> HCMA012173002017	MADRAS HIGH COURT	2023	बिना अनुमति के आवासीय क्षेत्रों में बड़ी धार्मिक या शोर वाली गतिविधियाँ करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
07	<i>In Re: Noise Pollution</i> ESCR010002962005	SUPREME COURT OF INDIA	2005	शांतिपूर्ण और शोर-मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
08	<i>S.R. Nallasivam v. The District Collector</i> HCMA011176842016	MADRAS HIGH COURT	2021	ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 15 के तहत कठोर दंड का प्रावधान।
09	<i>Ali Hasan v. State of U.P.</i> UPHC010837962018	ALLAHABAD HIGH COURT	2018	शांत वातावरण, नींद और आराम मनुष्य की जैविक आवश्यकताएं और अनुच्छेद 21 के तहत रक्षित अधिकार हैं।
10	<i>Aash Mohammad v. State of Haryana</i> PHHC011178722017	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2017	ध्वनि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नियम 7 के तहत प्राधिकारी शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं।
11	<i>People for Elimination of Stray Troubles v. State of Goa</i> HCBM020081922004	BOMBAY HIGH COURT	2008	न्यूसेंस का निर्धारण प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है।
12	<i>Sushil Chandra Srivastava v. State of U.P.</i> UPHC010066162019	ALLAHABAD HIGH COURT	2019	रिहायशी इलाकों में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन अनिवार्य।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
13	<i>Ratnagiri Nagar Parishad v. Gangaram Narayan Ambekar & Ors.</i> ESCR010003852020	SUPREME COURT OF INDIA	2020	अन्य वैकल्पिक प्रभावी उपाय मौजूद होने पर न्यायालय को सिविल निषेधाज्ञा देने से बचना चाहिए।
14	<i>Banala Rajesh v. State of Telangana</i> HBHC010351862021	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2023	निषेधाज्ञा डिक्री के गैर-अनुपालन पर सीधे रिट के बजाय Order 21 Rule 32 CPC के तहत निष्पादन आवश्यक।
15	<i>Ramesh Chand v. State of U.P.</i> UPHC012830812025	ALLAHABAD HIGH COURT	2025	लंबित दीवानी मामले के बावजूद BNSS धारा 164 के नोटिस पर मजिस्ट्रेट के समक्ष जवाब देना होगा।
16	<i>Puranchand Sharma v. State of Rajasthan</i> RJHC020408282018	HIGH COURT OF RAJASTHAN	2018	सिविल कोर्ट में निषेधाज्ञा आदेश लागू होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 133 CrPC की कार्यवाही अनुचित है।
17	<i>Imam Ali v. State of U.P.</i> UPHC020506722025	ALLAHABAD HIGH COURT	2025	सिविल विवाद लंबित होने पर भी शांति बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा BNSS निवारक कार्यवाही वैध।
18	<i>Shams Khatoon v. State of Telangana</i> HBHC010622162023	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2024	यथास्थिति आदेश के उल्लंघन पर रिट के बजाय Order 39 Rule 2A CPC के तहत दीवानी जेल का उपाय।
19	<i>Kanakamedala Arun Rakesh v. State of Andhra Pradesh</i> APHC010032132025	HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH	2025	दीवानी विवाद की आड़ में आपराधिक कृत्य, हमला या संपत्ति को क्षति पहुंचाने पर FIR रद्द नहीं होगी।

IV. मुकदमे का विवरण 19 केस फ़ाइलें

01 Sanjeev Kumar v. State of H.P.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2018-07-31 • CRMM0/471/2017

यह मामला Section 133 of the Code of Criminal Procedure के तहत एक निजी विवाद से संबंधित है जिसे सार्वजनिक उपद्रव (public nuisance) के रूप में गलत तरीके से पेश किया गया था। न्यायालय ने माना कि Sub Divisional Magistrate और Additional Sessions Judge दोनों ने साक्ष्यों की अनदेखी की और Naib Tehsildar की रिपोर्ट के विपरीत निष्कर्ष निकाला। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Section 133 का उद्देश्य निजी विवादों को सुलझाना नहीं, बल्कि व्यापक समुदाय को सार्वजनिक असुविधा से बचाना है। निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रक्रियात्मक त्रुटियों और न्यायिक विवेक के अभाव के कारण ये आदेश कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं हैं।

निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत सारांश कार्यवाही का उद्देश्य निजी विवादों को निपटाना नहीं है। मजिस्ट्रेट की न्यूसेंस हटाने की शक्ति केवल तब लागू होती है जब समुदाय या किसी पूरे इलाके के निवासियों का स्वास्थ्य या शारीरिक आराम दांव पर हो, न कि केवल किसी विशिष्ट घर के निवासियों का निजी विवाद हो।

“Nuisances are of two kinds, i.e. (i) Public; and (ii) Private. 'Public nuisance' or 'common nuisance' as defined in Section 268 of the Indian Penal Code, 1860 (in short the 'IPC') is an offence against the public either by doing a thing which tends to the annoyance of the whole community in general or by neglecting to do anything which the common good requires. It is an act or omission which causes any common injury, danger or annoyance to the public or to the people in general who dwell or occupy property in the vicinity. 'Private nuisance' on the other hand, affects some individuals as distinguished from the public at large. The remedies are of two kinds - civil and criminal. The remedies under the civil law are of two kinds. One is under Section 91 of the Code of Civil Procedure, 1908 (in short 'CPC'). Under it a suit lies and the plaintiffs need not prove that they have sustained any special damage. The second remedy is a suit by a private individual for a special damage suffered by him. There are three remedies under the criminal law. The first relates to the prosecution under Chapter XIV of IPC. The second provides for summary proceedings under Sections 133 to 144 of the Code, and the third relates to remedies under special or local laws. Sub-section (2) of Section 133 postulates that no order duly made by a Magistrate under this Section shall be called in question in any civil Court. ... Proceedings under Section 133 are not intended to settle private disputes between different members of the public. They are in fact intended to protect the public as a whole against inconvenience.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2018

स्रोत HPHC010242762017

02 Sakuthala Vedachalam v. State of Tamil Nadu

MADRAS HIGH COURT • 2019-07-31 • WP/301/2002

यह याचिका Chunampet गांव में ध्वनि प्रदूषण (noise pollution) को नियंत्रित करने और लाउडस्पीकर के अत्यधिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश की मांग को लेकर दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि धार्मिक उत्सवों के दौरान लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से आम जनता, छात्रों और बीमार व्यक्तियों को भारी परेशानी हो रही है। न्यायालय ने Church of God (Full Gospel) in India v. K.K.R. Majestic Colony Welfare Association मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित दिशानिर्देशों का हवाला दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी धर्म का पालन दूसरों की शांति भंग करने के अधिकार की अनुमति नहीं देता। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 और Environment (Protection) Act, 1986 के तहत निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 के तहत स्पष्ट मापदंड लागू हैं। नियम 3 के तहत आवासीय क्षेत्रों के लिए ध्वनि की सीमा दिन में 55 dB(A) और रात में 45 dB(A) है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है और नियमों के उल्लंघन पर आपराधिक न्यूसेंस के रूप में दंडित किया जा सकता है।

“Rule 3 of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 provides for ambient air quality standards in respect of noise for different areas/zones as specified in the Schedule annexed to the Rule which is as under: “Ambient Air Quality Standards in Respect of Noise Area code Category of Limits in dB(A) Leq Daytime Night-time (C) Residential area 55 45 Note.—(1) Daytime shall mean from 6.00 a.m. to 10.00 p.m. ... 5. A loudspeaker or a public address system shall not be used except after obtaining written permission from the authority and the same shall not be used at night i.e. between 10.00 p.m. and 6.00 a.m.”

MADRAS HIGH COURT • 2019

स्रोत HCMA010089302002

03 Spoorthi School of Dance v. V. Ramalinga Reddy

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2024-06-25 • WA/1212/2019

यह मामला एक आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि (डांस स्कूल) चलाने और उससे होने वाले शोर प्रदूषण से संबंधित है। याचिकाकर्ता, 'Spoorthi School of Dance', ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें एक महीने के भीतर अपना स्कूल बंद करने या स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने पाया कि डांस स्कूल का संचालन आवासीय क्षेत्र के Zonal Regulations का उल्लंघन है, क्योंकि वहां व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, Karnataka State Pollution Control Board की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि डांस स्कूल की गतिविधियों से शोर का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। न्यायालय ने यह माना कि पहले से मौजूद शोर प्रदूषण किसी अन्य उल्लंघन को सही नहीं ठहराता है, और इसलिए एकल न्यायाधीश का आदेश बरकरार रखा।

निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दीवानी न्यूसेंस के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए माना कि अपनी संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार पूर्ण नहीं है। यदि पड़ोसी की किसी गतिविधि (जैसे लगातार संगीत या मशीनरी) के कारण रात में नींद बाधित होती है या दिन में सामान्य बातचीत नहीं की जा सकती, तो यह कार्रवाई योग्य निजी न्यूसेंस है और इसे दीवानी निषेधाज्ञा के माध्यम से रोका जा सकता है।

“(3) Generally, unusual or abnormal noise on defendant's premises which disturbs sleep of the occupants of the plaintiff's house during night, or which is so loud during day time that due to it one cannot hear ordinary conversation in the plaintiff's house or which cannot allow the occupants of the plaintiffs house to carry on their ordinary work is deemed to be a noise which interferes with one's physical comforts. ... (5) If the noise amounts to an actionable nuisance, the defence that the defendant is making a reasonable use of his own property will be ineffectual. No use of one's property is reasonable if it causes substantial discomfort to other persons.”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2024

स्रोत KAHC010127322019

04 Umesh Sharma v. State of M. P.

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2018-10-12 • WP/24541/2018

यह याचिका नवरात्रि के दौरान लाउडस्पीकर के उपयोग पर रात्रि 10 बजे के बाद लगाई गई पाबंदी को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि धार्मिक आयोजनों के लिए छूट दी जानी चाहिए। न्यायालय ने In Re: Noise Pollution (AIR 2005 SC 3136) के फैसले का संदर्भ

देते हुए स्पष्ट किया कि Article 21 के तहत सभी नागरिकों को शोर-मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार है। न्यायालय ने माना कि ध्वनि प्रदूषण नियमों और Madhya Pradesh Kolahal Niyam, 1985 के तहत लाउडस्पीकर के उपयोग को विनियमित करना अनिवार्य है। राज्य सरकार ही केवल विशिष्ट परिस्थितियों में छूट देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। तदनुसार, न्यायालय ने अधिकारियों को प्रचलित कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।

निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। न्यायालय ने माना कि किसी भी निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली की सीमा पर शोर का स्तर उस क्षेत्र के निर्धारित परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक से 5 dB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए और रात के समय (10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक) ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

“II. Loudspeakers 1. The noise level at the boundary of the public place, where loudspeaker or public address system or any other noise source is being used shall not exceed 10 dB(A) above the ambient noise standards for the area or 75 dB(A) whichever is lower. ... 3. The peripheral noise level of privately owned sound system shall not exceed by more than 5 dB(A) than the ambient air quality standard specified for the area in which it is used, at the boundary of the private place.”

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2018

स्रोत MPHC020267522018

05 K.V. Kurundkar v. State of Maharashtra

BOMBAY HIGH COURT • 2019-05-02 • WP/3628/2018

यह मामला Bandra Worli Sea Link Project के कारण होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि परियोजना के बाद यातायात बढ़ने से प्रदूषण का स्तर स्वीकृत मानकों से अधिक हो गया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने विभिन्न सरकारी अधिकारियों और निकायों के विरुद्ध Environment (Protection) Act, 1986 और Noise Pollution (Regulation & Control) Rules, 2000 के तहत प्रक्रिया जारी की थी। याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी। न्यायालय ने पाया कि शिकायत में आवश्यक कानूनी प्रावधानों और वैधानिक नोटिस की शर्तों का सही पालन नहीं किया गया था। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रक्रिया को रद्द कर दिया और संबंधित याचिकाओं को स्वीकार कर लिया।

निर्णय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 की प्रासंगिकता पर चर्चा की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नियम 7 के तहत, यदि किसी क्षेत्र में शोर का स्तर निर्धारित मानकों से 10 dB(A) या उससे अधिक बढ़ जाता है, तो कोई भी पीड़ित नागरिक सक्षम प्राधिकारी को शिकायत कर सकता है और प्राधिकारी उस पर कार्रवाई करने और नियम 8 के तहत शोर रोकने के लिए लिखित आदेश जारी करने के लिए बाध्य हैं।

“43. Rule 7 of the Noise Pollution Rules states that if at all the noise pollution level exceeds the standards by 10dB (A), can make a complaint to the authority, and the authority shall act on the complaint and take action. 44. Rule 8 of the Noise Pollution Rules empowers the authority to report to the officer in charge of a police station or may issue written order or directions which he thinks necessary to any person for preventing, controlling and regulating- (a) the incidence or continuance in or upon any premises of - (i) any vocal or instrumental music...”

BOMBAY HIGH COURT • 2019

स्रोत HCBM010375392018

06 S. Daniel Dhanasekaran v. The District Collector

MADRAS HIGH COURT • 2023-03-08 • WP/29998/2017

यह याचिकाकर्ता के आवास पर अनधिकृत रूप से धार्मिक प्रार्थना सभाएं आयोजित करने से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह उसका मौलिक अधिकार है, जबकि स्थानीय निवासियों और पुलिस ने शोर प्रदूषण और सार्वजनिक शांति भंग करने की शिकायतें दर्ज कीं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Article 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और यह Article 21 के अंतर्गत अन्य नागरिकों के शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार के अधीन है। न्यायालय ने माना कि आवासीय क्षेत्रों में उचित अनुमति के बिना बड़े पैमाने पर धार्मिक गतिविधियाँ करना और ध्वनि प्रदूषण फैलाना कानून का उल्लंघन है। न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमों के अनुसार ऐसी अवैध गतिविधियों और शोर प्रदूषण पर उचित कार्रवाई करें।

निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि आवासीय क्षेत्रों में बिना किसी पूर्व अनुमति के व्यापक पैमाने पर शोर करने वाली गतिविधियाँ पड़ोसियों के लिए न्यूसेंस हैं। आधी रात या सुबह-सुबह अत्यधिक लाउडस्पीकर के शोर से नींद में बाधा डालना मानसिक अवसाद और यंत्रणा का कारण बनता है, जिससे अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य बन जाता है।

“If religious activities in a large scale are practised without getting proper permission, undoubtedly the same would result in causing nuisance and trouble to the neighbours and therefore, such activities are to be stopped forthwith by the Competent Authorities if they receive any complaint or noticed. ... Every citizen has got fundamental right of peaceful living and health being integral part of Article 21, which provides right to life.”

MADRAS HIGH COURT • 2023

स्रोत HCMA012173002017

07 In Re: Noise Pollution

SUPREME COURT OF INDIA • 2005-07-18 • 2005 INSC 297

यह मामला भारत में ध्वनि प्रदूषण की गंभीर समस्या और इसके नागरिकों के जीवन जीने के अधिकार (Article 21 of the Constitution) पर प्रभाव से संबंधित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ध्वनि प्रदूषण से मुक्त वातावरण का अधिकार Article 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसे Article 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बाधित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों के उपयोग, लाउडस्पीकरों, सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों और वाहनों के हॉर्न के संबंध में सख्त दिशा-निर्देश जारी किए। न्यायालय ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखों और शोर करने वाले उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया और राज्य सरकारों को ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने, जागरूकता फैलाने और दोषी उपकरणों को जब्त करने हेतु आवश्यक तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया।

निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी परिसर में भी ऐसा शोर नहीं कर सकता जो उसकी सीमाओं से बाहर जाकर पड़ोसियों के लिए न्यूसेंस बने। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन में शांतिपूर्ण घर का आनंद शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं देती कि वह लाउडस्पीकर के माध्यम से दूसरों के कानों में कर्कश आवाज थोपे।

“Anyone who wishes to live in peace, comfort and quiet within his house has a right to prevent the noise as pollutant reaching him. No one can claim a right to create noise even in his own premises which would travel beyond his precincts and cause nuisance to neighbours or others. Any noise which has the effect of materially interfering with the ordinary comforts of life judged by the standard of a reasonable man is nuisance. ... Nobody can be compelled to listen and nobody can claim that he has a right to make his voice trespass into the ears or mind of others. Nobody can indulge into aural aggression.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2005

स्रोत ESCR010002962005

08 S.R. Nallasivam v. The District Collector

MADRAS HIGH COURT • 2021-10-29 • WP/941/2016

यह मामला इरोड जिले के निवासियों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर लाउडस्पीकर के अत्यधिक शोर और अवैध जमावड़े से होने वाली परेशानी से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि रेलवे की खाली जमीन का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को असुविधा हो रही है। न्यायालय ने Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 और Environment (Protection) Act, 1986 का संदर्भ देते हुए स्पष्ट किया कि सार्वजनिक अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें और ध्वनि प्रदूषण के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। न्यायालय ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि यदि नियमों का उल्लंघन या शोर के कारण कोई परेशानी होती है, तो वे कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करें और दोषियों पर मुकदमा चलाएं।

निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 के उल्लंघन पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इस धारा के अनुसार नियमों या निर्देशों के उल्लंघनकर्ता को 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

"35. In respect of the actions to be initiated Environment (Protection) Act, 1986, more specifically Section 15 provides 'Penalty for Contravention of the Provisions of the Act and the Rules, Orders and Directions'. ... 36. Sub section (1) to Section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 contemplates "whoever fails to comply with or contravenes any of the provisions of this Act, or the rules made or orders or directions issued thereunder, shall, in respect of each such failure or contravention, be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years with fine which may extend to one lakh rupees, or with both..."

MADRAS HIGH COURT • 2021

स्रोत HCMA011176842016

09 Ali Hasan v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2018-05-01 • WRIC/15808/2018

यह याचिका मस्जिद में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति के संबंध में थी। याचिकाकर्ता ने स्थानीय अधिकारियों से लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 और Supreme Court के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि ध्वनि प्रदूषण के बिना शांतिपूर्ण वातावरण में रहने का अधिकार Article 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने माना कि किसी भी धर्म में लाउडस्पीकर का उपयोग अनिवार्य नहीं है और यदि ऐसा किया जाता है, तो उसे Noise Pollution Rules का पालन करना होगा। न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कानून के अनुसार मामले पर विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि "मौन की आवश्यकता", "नींद की आवश्यकता" और "आराम" मनुष्य की बुनियादी जैविक आवश्यकताएं हैं, जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य से जुड़ी हैं। कानून लागू करने वाली एजेंसियों का यह कर्तव्य है कि वे शोर के खतरों को रोकने के लिए आवश्यक जांच उपकरणों से लैस हों और ध्वनि प्रदूषण नियमों का सख्ती से प्रवर्तन सुनिश्चित करें।

"Interference by the court in respect of noise pollution is premised on the basis that a citizen has certain rights being \"necessity of silence\", \"necessity of sleep\", \"process during sleep\" and \"rest\", which are biological necessities and essential for health. Silence is considered to be golden. It is considered to be one of the human rights as noise is injurious to human health which is required to be preserved at any cost."

ALLAHABAD HIGH COURT • 2018

स्रोत UPHC010837962018

10 Aash Mohammad v. State of Haryana

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2017-07-06 • LPA/1023/2017

यह मामला एक ट्वीट से संबंधित है जिसमें एक व्यक्ति ने सुबह के समय लाउडस्पीकर पर अज्ञान की आवाज़ से होने वाली परेशानी पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह ट्वीट उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और Section 295-A I.P.C. के तहत अपराध है, इसलिए उसने FIR दर्ज करने की मांग की थी। न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ट्वीट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है और यह किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं है। न्यायालय ने माना कि एक व्यक्ति पूरे समुदाय की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 का हवाला देते हुए ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण पर जोर दिया।

निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 के नियम 7 और 8 की व्याख्या करते हुए माना कि यदि ध्वनि का स्तर निर्धारित मानकों से 10 dB(A) या उससे अधिक बढ़ जाता है, तो नागरिक सीधे सक्षम प्राधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। शिकायत मिलने पर प्राधिकारी शोर करने वाली गतिविधि या व्यापारिक प्रक्रिया को रोकने के लिए लिखित निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत हैं।

“7. Complaints to be made to the authority.- (1) A person may, if the noise level exceeds the ambient noise standards by 10dB(A) or more given in the corresponding columns against any area/zone, make a complaint to the authority. (2) The authority shall act on the complaint and take action against the violator in accordance with the provisions of these rules and any other law in force.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2017

स्रोत PHHC011178722017

11 People for Elimination of Stray Troubles v. State of Goa

BOMBAY HIGH COURT • 2008-12-19 • WP/93/2011

यह मामला आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने और उनसे उत्पन्न खतरों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर केंद्रित है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि 'Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960' की 'Section 11(3)' और संबंधित नगरपालिका कानूनों के तहत आवारा कुत्तों को मारना सामान्य नियम नहीं हो सकता। न्यायालय ने पहले जारी किए गए 'Comprehensive Guidelines for Dog Control and Management' को बरकरार रखा, जिसके अनुसार केवल गंभीर रूप से बीमार, हिंसक, घातक रूप से घायल या रेबीज से ग्रसित कुत्तों को ही मानवीय तरीके से euthanise किया जा सकता है। न्यायालय ने जनसंख्या नियंत्रण और रेबीज उन्मूलन के लिए वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया।

निर्णय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि न्यूसेंस या कष्ट पहुँचाने वाली गतिविधि का आकलन करने के लिए कोई एक अपरिवर्तनीय फॉर्मूला या "स्ट्रेट-जैकेट फॉर्मूला" नहीं दिया जा सकता। कोई कृत्य न्यूसेंस है या नहीं, यह पूरी तरह से प्रत्येक मामले के अपने विशिष्ट तथ्यों, स्थान और समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

“No hard and fast rules can be laid down or neither a straight jacket formula could be provided to infer whether a particular act amounts to nuisance or annoyance. It depends upon the facts of each case.”

BOMBAY HIGH COURT • 2008

स्रोत HCBM020081922004

12 Sushil Chandra Srivastava v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2019-08-20 • WRIC/1216/2019

यह मामला रिहायशी इलाकों में लाउडस्पीकर के अंधाधुंध उपयोग और ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी जनहित याचिका पर आधारित है। याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की कि अत्यधिक शोर के कारण बच्चों की पढ़ाई और अस्पताल में भर्ती मरीजों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। न्यायालय ने पाया कि स्थानीय प्रशासन Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 और Supreme Court द्वारा जारी निर्देशों को लागू करने में विफल रहा है। न्यायालय ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि नियमों का पालन अनिवार्य है और प्रशासन को शोर को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि नागरिकों के स्वास्थ्य और शांति के अधिकार की रक्षा की जा सके।

निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 के नियम 5 के उप-नियमों के सख्त अनुपालन पर बल दिया। इसके अनुसार, बिना लिखित अनुमति के किसी लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता, और खुले स्थानों में रात्रि के समय (10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक) इनके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है, सिवाय इसके कि जब बंद सभागारों या सम्मेलनों में इसका उपयोग किया जा रहा हो।

“5. Restrictions on the use of loud speakers/public address system and sound producing instruments- (1) A loud speaker or a public address system shall not be used except after obtaining written permission from the authority. (2) A loud speaker or a public address system or any sound producing instrument or a musical instrument or a sound amplifier shall not be used at night time except in closed premises for communication...”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2019

स्रोत UPHC010066162019

13 Ratnagiri Nagar Parishad v. Gangaram Narayan Ambekar & Ors.

SUPREME COURT OF INDIA • 2020-05-06 • 2020 INSC 388

यह मामला Ratnagiri Nagar Parishad द्वारा शुरू की गई एक Solid Waste Disposal Project के विरुद्ध दायर स्थायी निषेधाज्ञा (permanent injunction) के दावे से संबंधित था। उच्चतम न्यायालय ने माना कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर अधिकार क्षेत्र National Green Tribunal (NGT) के पास है और Section 29 of the National Green Tribunal Act, 2010 के तहत दीवानी अदालतों का अधिकार क्षेत्र वर्जित है। न्यायालय ने यह भी कहा कि वादियों ने निषेधाज्ञा मांगने के लिए अपनी साक्ष्य का बोझ (burden of proof) नहीं निभाया और Specific Relief Act, 1963 के Section 41(f) and 41(h) के तहत भी यह निषेधाज्ञा दी जाने योग्य नहीं थी। न्यायालय ने निचली अदालतों के निर्णय को खारिज करते हुए वाद को शुरू से ही खारिज करने योग्य माना।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दीवानी अदालत को विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 41(h) के तहत निषेधाज्ञा जारी करने से इनकार करना चाहिए यदि वादी के पास समान रूप से प्रभावी कोई अन्य उपाय मौजूद हो। इसके अतिरिक्त, दीवानी वादों में न्यूसेंस साबित करने का प्राथमिक भार पूरी तरह से वादी पर होता है।

“Hence, the civil Court ought not to have granted injunction simpliciter also because of the stipulation in Section 41(h) of the 1963 Act, wherein it is made amply clear that when equally efficacious relief can certainly be obtained by any other usual mode of proceeding except in case of breach of trust, an injunction cannot be granted. The scheme of Section 41 of the 1963 Act predicates that the civil Court must refuse to grant injunction in the situations referred to therein...”

SUPREME COURT OF INDIA • 2020

स्रोत ESCR010003852020

14 Banala Rajesh v. State of Telangana

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2023-11-22 • WP/21554/2021

याचिकाकर्ता ने एक निचली अदालत द्वारा पारित perpetual injunction decree को लागू करने और अपनी संपत्ति पर अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब एक decree पहले से ही मौजूद है, तो पक्षकार को सीधे Writ of Mandamus के माध्यम से पुलिस सुरक्षा नहीं मांगनी चाहिए। इसके बजाय, पक्षकार को Order 21 Rule 32 of the Code of Civil Procedure (CPC) के तहत निष्पादन न्यायालय (execution court) का दरवाजा खटखटाना चाहिए। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि Civil Court ही decree के उल्लंघन के मामले में पुलिस सुरक्षा का निर्देश देने के लिए सक्षम है, और इसलिए वर्तमान रिट याचिका को खारिज कर दिया गया, लेकिन याचिकाकर्ता को निष्पादन न्यायालय में उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई।

निर्णय तेलंगाना उच्च न्यायालय ने माना कि यदि दीवानी अदालत द्वारा पारित स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री का पड़ोसी द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो उचित विधिक उपाय सीपीसी के आदेश 21 नियम 32 के तहत निष्पादन न्यायालय (Execution Court) के समक्ष आवेदन करना है, न कि सीधे उच्च न्यायालय से पुलिस सुरक्षा का निर्देश मांगना।

“18. In case there is a grievance of non-compliance with the terms of the decree passed in the civil suit, the remedy available to the aggrieved person is to approach the execution court under Order 21 Rule 32 CPC which provides for elaborate proceedings in which the parties can adduce their evidence...”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2023

स्रोत HBHC010351862021

15 Ramesh Chand v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2025-08-12 • NA528/20423/2025

यह मामला Ramesh Chand द्वारा दायर एक आवेदन से संबंधित है, जिसमें उन्होंने आगरा के Executive Magistrate द्वारा Section 164(1) BNSS के तहत जारी किए गए एक नोटिस को चुनौती दी थी। आवेदक का तर्क था कि चूंकि विवादित संपत्ति के संबंध में 2008 से एक सिविल मुकदमा लंबित है और निषेधाज्ञा (injunction) लागू है, इसलिए Magistrate को BNSS के तहत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने पाया कि impugned आदेश केवल एक show cause notice है, न कि अंतिम आदेश। न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन आवेदक को निर्देश दिया कि वह संबंधित Magistrate के समक्ष अपना जवाब दाखिल करे, जिसे समयबद्ध तरीके से कानून के अनुसार तय किया जाएगा।

निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 164(1) के तहत जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ सीधे अदालत में रिट याचिका नहीं दी जा सकती। भले ही दीवानी वाद लंबित हो, पीड़ित पक्ष को मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराकर अपना पक्ष रखना चाहिए।

“It is merely a show cause notice, wherein it has been mentioned that both the parties have to appear before the Executive Magistrate and to produce their statements regarding possession of the disputed property. ... Thus, the applicant may reply in pursuance to the said notice and submit his statement therein.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2025

स्रोत UPHC012830812025

16 Puranchand Sharma v. State of Rajasthan

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2018-04-23 • CRLMP/2037/2018

यह मामला Section 482 Cr.P.C. के तहत दायर की गई एक याचिका से संबंधित है, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसने Sub Divisional Magistrate (SDM) के आदेश को रद्द कर दिया था। SDM ने Respondents पर सार्वजनिक रास्ते पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए Section 133 Cr.P.C. के तहत कार्यवाही शुरू की थी। हालांकि, Revisional Court ने पाया कि

Respondents ने पहले ही एक Civil Suit दायर किया हुआ है और Civil Court ने उस भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए injunction जारी किया है। Rajasthan High Court ने माना कि चूंकि मामला पहले से ही Civil Court में विचाराधीन है, इसलिए SDM द्वारा कार्यवाही जारी रखना उचित नहीं है। तदनुसार, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यदि किसी संपत्ति या विवादित भूमि को लेकर सिविल कोर्ट में दीवानी वाद पहले से ही लंबित है और सिविल न्यायालय ने निषेधाज्ञा (Injunction) जारी की है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा उसी मामले में सीआरपीसी की धारा 133 के तहत समानांतर न्यूसेंस कार्यवाही शुरू करना कानूनी रूप से अनुचित है।

“The revisional Court below held that since the proceedings are pending before the Civil Court and the Civil Court had granted injunction, the proceedings initiated by the Sub Divisional Magistrate cannot be sustained as the Civil Court is seized of the controversy and shall decide the same on the basis of the evidence.”

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2018

स्रोत RJHC020408282018

17 Imam Ali v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2025-07-09 • CRLP/6139/2025

यह याचिका पुलिस द्वारा कथित उत्पीड़न को रोकने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के निर्देश की मांग को लेकर दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि एक दीवानी मामले में अंतरिम निषेधाज्ञा (interim injunction) के बावजूद विपक्षी दल जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं और पुलिस के पास झूठी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। राज्य के वकील ने स्पष्ट किया कि मामला पहले से ही दीवानी अदालत में लंबित है और पुलिस ने केवल शांति बनाए रखने के लिए Section 170, 126, 135 of BNSS के तहत कार्रवाई की है। न्यायालय ने याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ताओं को पुलिस द्वारा शुरू की गई कार्रवाई के खिलाफ संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश दिया।

निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि भले ही पक्षों के बीच सिविल मुकदमा लंबित हो, लेकिन यदि वहां शांति भंग होने की आशंका की शिकायत प्राप्त होती है, तो पुलिस द्वारा शांति बहाली के लिए BNSS की निवारक धाराओं (जैसे धारा 170, 126, 135) के तहत कार्रवाई करना पूरी तरह से वैध है।

“...civil suit is pending, wherein an interim injunction in favour of the petitioner, when it was not being followed the trial Court directed the police to ensure its compliance. Since there was a complaint relating to non-compliance... the applicants... were advised to maintain peace and proceedings under Section 170, 126, 135 of BNSS were initiated...”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2025

स्रोत UPHC020506722025

18 Shams Khatoon v. State of Telangana

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2024-01-03 • WP/33703/2023

यह मामला एक दीवानी विवाद से संबंधित है, जहाँ याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि प्रतिवादी अदालती 'status quo' आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं और पुलिस इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से पुलिस सुरक्षा का निर्देश देने की मांग की थी।\n\nन्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वह अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं को उन निजी दीवानी विवादों के लिए नहीं सुनेगा जहाँ 'injunction' आदेश का पालन कराना हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Civil Procedure Code (CPC) के Order XXXIX Rule 2A के तहत एक प्रभावी कानूनी उपाय पहले से मौजूद है। न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित दीवानी न्यायालय में आवेदन करने की स्वतंत्रता दी है।

निर्णय तेलंगाना उच्च न्यायालय ने माना कि सिविल कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम निषेधाज्ञा या यथास्थिति आदेश के उल्लंघन की स्थिति में पीड़ित पक्ष को सीपीसी के आदेश 39 नियम 2A के तहत दीवानी न्यायालय में आवेदन दायर करना चाहिए। इसके तहत उल्लंघनकर्ता की संपत्ति की कुर्की और तीन महीने तक की सिविल जेल का प्रावधान है।

“The Civil Procedure Code (CPC) provides for an elaborate procedure under Order XXXIX Rule 2A in respect of any injunction granted under Rules 1 and 2 or under Section 151 CPC. In case there is a breach of the terms of injunction, the court may order the property of the person guilty of such disobedience to be attached and also order such person to be detained in civil prison for a term not exceeding three months...”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2024

स्रोत HBHC010622162023

19 Kanakamedala Arun Rakesh v. State of Andhra Pradesh

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2025-08-21 • CRLP/684/2025

यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग से संबंधित है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह विवाद अनिवार्य रूप से दीवानी (civil) प्रकृति का है और इसे केवल परेशान करने के लिए आपराधिक मामले का रूप दिया गया है। न्यायालय ने पाया कि भले ही पार्टियों के बीच दीवानी मुकदमों (OS.No.598 of 2021) में संपत्ति के अधिकारों पर विवाद चल रहा हो, लेकिन FIR में धारा 109, 120-B, 323, 324, 341, 406, 427, और 447 of IPC जैसे गंभीर आपराधिक कृत्यों के आरोप लगाए गए हैं। न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल दीवानी विवाद के लंबित होने का मतलब यह नहीं है कि कोई पक्ष कानून को अपने हाथ में ले सकता है। अतः, न्यायालय ने FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया और पुलिस को निष्पक्ष जांच पूरी करने का निर्देश दिया।

निर्णय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दीवानी मुकदमों या मार्ग से जुड़े विवादों के लंबित होने मात्र से किसी पक्ष को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं मिल जाता। यदि कोई पड़ोसी सिविल निषेधाज्ञा का उल्लंघन करके हमला करता है या संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है, तो पुलिस शिकायत (FIR) को दीवानी विवाद बताकर निरस्त नहीं किया जा सकता।

“In such circumstances, the attempt of the petitioner to trespass and cause damage to the property forms the genesis of the complaint. ... When a dispute is essentially civil in nature and is given a cloak of a criminal offence. The High Court should not hesitate to quash the case. ... but here the FIR has been registered for substantive offenses...”

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2025

स्रोत APHC010032132025

अस्वीकरण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।